

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./25/2008/137

भोपाल, दिनांक 10/9/08


:: संशोधन ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./25/2008/64-65, दिनांक 28.08.2008 के द्वारा अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति जारी की गई थी। उल्लेखित आदेश के संक्र. 01 पर अंकित श्रीमती प्रतिमा त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, शा. क. प्रावि लारौन, जिला-टीकमगढ़ को आदेश के कालम-4 के अनुसार जनपद पंचायत छतरपुर, जिला-छतरपुर के अन्तर्गत शा. मावि रामनगर में संविलियन की अनुमति जारी की गई है।

2/ जनपद पंचायत छतरपुर, जिला-छतरपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में शा. मावि रामनगर संस्था का नाम त्रुटिवश टंकण हो गया है। संविलियन निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर शा. कन्या/बालक प्रावि मातगुँवा संशोधन होना है।

3/ अतः एतद् द्वारा संचालनालय के उल्लेखित आदेश के संक्र. 01 के कालम-4 में अंकित शाला का नाम शा. मावि रामनगर के स्थान पर शा. कन्या/बालक प्रावि मातगुँवा पढ़ा जावे।

शेष आदेश यथावत् रहेगा।



उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


९

भोपाल, दिनांक 10/9/08

पृष्ठा.क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./25/2008/138

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ एवं छतरपुर मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, टीकमगढ़ एवं छतरपुर मध्यप्रदेश।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़ एवं छतरपुर मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पल्लेरा, जिला-टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छतरपुर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश।
6. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. संबंधित - श्रीमती प्रतिमा त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, शा. क. प्रावि लारौन, जिला-टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।



उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

९